

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 26 फरवरी, 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपदों हेतु कुक-कम हेल्पर (रसोईया-सह सहयोगी) के मानदेय मद की तृतीय किस्त निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म०भ०प्रा०/4567/2018-19 दिनांक 18.01.2019, शासनादेश संख्या-1081/71-6-2018-1112/2011, दिनांक-13.07.2018 एवं शासनादेश संख्या-2015-68-3-2018-1112-2011, दिनांक-13.12.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जनजाति के कार्यरत कुक-कम हेल्पर (रसोईया-सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्द्रांश के रूप में धनराशि रु०-81.79 लाख एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रु०-54.52 लाख अर्थात् कुल रु०-136.31 लाख (रु० एक करोड़ छत्तीस लाख इक्तीस हजार मात्र) की धनराशि तृतीय किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार फाट के अनुसार व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक-कम हेल्पर (रसोईया-सह सहयोगी) की सेवायें वर्ष में केवल 10 माह के लिये ही ली जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग टी०एस०पी० हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं उपलब्ध केन्द्रांश की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा। योजना का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों / प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिये स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जनजाति के चिन्हित कुक-कम हेल्पर (रसोईया-सह सहयोगी) को मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि एन०जी०ओ०, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक-कम हेल्पर को मानदेय का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा, एवं इस हेतु संबंधित कुक-कम हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त कर लेंगे, तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01- प्रारम्भिक शिक्षा-796-जनजातीय उप योजना-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-0101- मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11 के अशासकीय सं०-ई-11-107/दस-19 दिनांक-21 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।
संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:-164(1)/अडसठ-3-2019-1112/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- श्रमायुक्त, कानपुर।
- 4- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ०प्र० लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ०प्र० इलाहाबाद।
- 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 7- वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ०प्र० लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 10- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०।
- 11- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, उ०प्र०।
- 12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3
- 13- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ०प्र० शासन।
- 14- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग।
- 15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 26 फरवरी, 2019

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत जनपदों हेतु कुक-कम हेल्पर (रसोईया-सह सहयोगी) के मानदेय मद की तृतीय किस्त निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म०भ०प्रा०/4567/2018-19 दिनांक 18.01.2019, शासनादेश संख्या-1081/71-6-2018-1112/2011, दिनांक-13.07.2018 एवं शासनादेश संख्या-2015-68-3-2018-1112-2011, दिनांक-13.12.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्याह्न भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जनजाति के कार्यरत कुक-कम हेल्पर (रसोईया-सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्द्रांश के रूप में धनराशि रू०-81.79 लाख एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू०-54.52 लाख अर्थात् कुल रू०-136.31 लाख (रू० एक करोड़ छत्तीस लाख इक्तीस हजार मात्र) की धनराशि तृतीय किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार फाट के अनुसार व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कुक-कम हेल्पर (रसोईया-सह सहयोगी) की सेवायें वर्ष में केवल 10 माह के लिये ही ली जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग टी०एस०पी० हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं उपलब्ध केन्द्रांश की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा। योजना का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों / प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिये स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जनजाति के चिन्हित कुक-कम हेल्पर (रसोईया-सह सहयोगी) को मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्याह्न भोजन निधि में उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि एन०जी०ओ०, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जायेगा।


(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक-कम हेल्पर को मानदेय का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा, एवं इस हेतु संबंधित कुक-कम हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त कर लेंगे, तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01- प्रारम्भिक शिक्षा-796-जनजातीय उप योजना-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-0101- मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11 के अशासकीय सं०-ई-11-107/दस-19 दिनांक-21 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।


संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।
२

संख्या:-164(1)/अडसठ-3-2019-1112/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- श्रमायुक्त, कानपुर।
- 4- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ०प्र० लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ०प्र० इलाहाबाद।
- 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 7- वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ०प्र० लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 10- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०।
- 11- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, उ०प्र०।
- 12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3
- 13- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ०प्र० शासन।
- 14- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग।
- 15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

Enclosure of G.O.

[Mid-Day-Meal Scheme]
Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-helper
FY 2018-19: Grant-81: 3rd Installment

(Rs. in Lac)

S.N.	Districts	No. of cook-cum-helper in TSP Category as given by districts in QPR	Funds for Honorarium to cook-cum-helper Being Released as 3rd Installment @Rs. 1000/- per cook per month		
			Central	State	Total
1	2	3	4	5	6=4+5
1	01-Agra	0	0.00	0.00	0.00
2	02-Aligarh	0	0.00	0.00	0.00
3	03-Allahabad	0	0.00	0.00	0.00
4	04-Ambedkar nagar	0	0.00	0.00	0.00
5	05-Auraiya	0	0.00	0.00	0.00
6	06-Azamgarh	0	0.00	0.00	0.00
7	07-Badaun	0	0.00	0.00	0.00
8	08-Baghpat	0	0.00	0.00	0.00
9	09-Bahraich	56	0.72	0.48	1.20
10	10-Ballia	0	0.00	0.00	0.00
11	11-Balrampur	24	0.64	0.42	1.06
12	12-Banda	0	0.00	0.00	0.00
13	13-Barabanki	0	0.00	0.00	0.00
14	14-Bareilly	0	0.00	0.00	0.00
15	15-Basti	0	0.00	0.00	0.00
16	16-Bhadohi	0	0.00	0.00	0.00
17	17-Bijnour	0	0.00	0.00	0.00
18	18-Bulandshahar	0	0.00	0.00	0.00
19	19-Chandauli	0	0.00	0.00	0.00
20	20-Chitrakoot	0	0.00	0.00	0.00
21	21-Amethi	0	0.00	0.00	0.00
22	22-Deoria	1441	43.23	28.82	72.05
23	23-Etah	0	0.00	0.00	0.00
24	24-Faizabad	0	0.00	0.00	0.00
25	25-Farrukhabad	0	0.00	0.00	0.00
26	26-Fatehpur	0	0.00	0.00	0.00
27	27-Firozabad	0	0.00	0.00	0.00
28	28-G.B. Nagar	0	0.00	0.00	0.00
29	29-Ghazipur	0	0.00	0.00	0.00
30	30-Ghaziyabad	0	0.00	0.00	0.00
31	31-Gonda	0	0.00	0.00	0.00
32	32-Gorakhpur	0	0.00	0.00	0.00
33	33-Hameerpur	0	0.00	0.00	0.00
34	34-Hardoi	0	0.00	0.00	0.00
35	35-Hathras	0	0.00	0.00	0.00
36	36-Itawah	0	0.00	0.00	0.00
37	37-J.P. Nagar	0	0.00	0.00	0.00
38	38-Jalaun	0	0.00	0.00	0.00
39	39-Jaunpur	0	0.00	0.00	0.00
40	40-Jhansi	0	0.00	0.00	0.00
41	41-Kannauj	0	0.00	0.00	0.00
42	42-Kanpur Dehat	0	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

[Mid-Day-Meal Scheme]
Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-helper
FY 2018-19: Grant-81: 3rd Installment

(Rs. in Lac)

S.N.	Districts	No. of cook-cum-helper in TSP Category as given by districts in QPR	Funds for Honorarium to cook-cum-helper Being Released as 3rd Installment @Rs. 1000/- per cook per month		
			Central	State	Total
1	2	3	4	5	6=4+5
43	43-Kanpur Nagar	0	0.00	0.00	0.00
44	44-Kaas Ganj	0	0.00	0.00	0.00
45	45-Kaushambi	0	0.00	0.00	0.00
46	46-Kushinagar	0	0.00	0.00	0.00
47	47-Lakhimpur Kheri	272	9.79	6.53	16.32
48	48-Lalitpur	75	0.00	0.00	0.00
49	49-Lucknow	0	0.00	0.00	0.00
50	50-Mahoba	0	0.00	0.00	0.00
51	51-Mahrajganj	0	0.00	0.00	0.00
52	52-Mainpuri	0	0.00	0.00	0.00
53	53-Mathura	0	0.00	0.00	0.00
54	54-Mau	0	0.00	0.00	0.00
55	55-Meerut	0	0.00	0.00	0.00
56	56-Mirzapur	0	0.00	0.00	0.00
57	57-Moradabad	0	0.00	0.00	0.00
58	58-Muzaffarnagar	0	0.00	0.00	0.00
59	59-Pilibhit	0	0.00	0.00	0.00
60	60-Pratapgarh	0	0.00	0.00	0.00
61	61-Rai Bareilly	0	0.00	0.00	0.00
62	62-Rampur	0	0.00	0.00	0.00
63	63-Saharanpur	0	0.00	0.00	0.00
64	64-Santkabar Nagar	0	0.00	0.00	0.00
65	65-Shahjahanpur	0	0.00	0.00	0.00
66	66-Shrawasti	30	1.33	0.89	2.22
67	67-Siddharthnagar	0	0.00	0.00	0.00
68	68-Sitapur	0	0.00	0.00	0.00
69	69-Sonbhadra	2013	26.08	17.38	43.46
70	70-Sultanpur	0	0.00	0.00	0.00
71	71-Unnao	0	0.00	0.00	0.00
72	72-Varanasi	0	0.00	0.00	0.00
73	73-Sambhal	0	0.00	0.00	0.00
74	74-Hapur	0	0.00	0.00	0.00
75	75-Shamli	0	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	3911	81.79	54.52	136.31



(अनु सचिव)

उत्तर प्रदेश शासन

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-26/02/2019

प्रेषण संख्या:- C-5132-MDMA-2018-19-DT-27-
02-2019-CCH-GR-81-3RD-INST-
REF-GO-164-68-3-2019-1112-
2011-DT-26-02-2019

आवंटन आदेश संख्या:- 003-LEKHA-CCH-GR-81-2018-19


अनुदान संख्या:- 81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2202 - सामान्य शिक्षा(आयोजनेत्तर-मतदेय)
01 - प्रारम्भिक शिक्षा
796 - जनजातीय उपयोजना
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
01 - मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.+रा.)
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	देवरिया-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7205000 16181000	7205000 16181000
2	लखीमपुर खीरी-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1632000 14073000	1632000 14073000
3	बहराइच-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	120000 432000	120000 432000
4	सोनभद्र-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4346000 57743000	4346000 57743000
5	बलरामपुर-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	106000 2644000	106000 2644000
6	श्रावस्ती-4354-वित्त एवं लेखाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	222000 1261000	222000 1261000
	योग	वर्तमान प्रगामी	13631000 92334000	13631000 92334000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ छत्तीस लाख इकत्तीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नौ करोड़ तेइस लाख चौत्तीस हजार


(मुमताज अहमद)
वित्त नियंत्रक